प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेरवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान पुवेटी

—:आदेश:—

प्रार्थी के *"खाता दुरुस्ती"* प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पुवेटी व भू.अ.नि. भू.अ.नि. जवास की रिपोर्ट तथा ~~उप~~ तहसीलदार ~~सलूम्बर~~ खेरवाड़ा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पुवेटी तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 188 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रुप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :—

क.स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पुवेटी	188	थावरा पुत्र तेजा मीणा	थावरचन्द पुत्र तेजा मीणा

(उपखण्ड अधिकारी)
पीठासीन अधिकारी
खेरवाड़ा जि. उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ________

क्रमांक :– 2257

दिनांक :– 21/12/21

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार, खेरवाड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री थावरचन्द पुत्र तेजा मीणा को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी
पीठासीन अधिकारी
खेरवाड़ा जि. उदयपुर
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, ________

Receipt

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

प्रार्थी :– थावरचन्द पिता तेजा मीणा

विषय :– राजस्व अभिलेख मे इन्द्राज दुरूस्ती करने बाबत्।

महोदय जी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत मुझ प्रार्थी का निम्न प्रकार निवेदन है :–

1. कि ग्राम सुवेरी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 की खाता संख्या 188 खसरा संख्या किता 4 रकबा 0.92 हैक्टेयर भुमि के खाते मे मुझ प्रार्थी का नाम थावरा दर्ज है।
2. कि मेरा सही नाम थावरचन्द मीणा है, एवं मेरी शैक्षणिक योग्यता/मतदाता फोटो पहचान पत्र/आधार कार्ड/राशन कार्ड एवं अन्य समस्त सरकारी दस्तावेजो मे भी मेरा सही नाम थावरचन्द मीणा ही दर्ज है।
3. कि मेरा नाम खाते मे दर्ज करते समय गाँव मे मुहबोला नाम थावरा होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हो गया। खाते मे नाम वास्तव मे मेरे सही नाम का विकृत/अपभ्रंष है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत मेरा नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कराने की कृपा करावे।

भवदीय

थावरचन्द

आवेदक/खातेदार

संलग्न :–

1. जमाबन्दी नकल।
2. पहचान हेतु सरकारी दस्तावेज।

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2021

बयान

प्रार्थी श्री शावरचन्द मीणा का राजस्व रिकार्ड मे नाम शावरा हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शावरचन्द मीणा है। प्रार्थी श्री शावरचन्द मीणा और श्री शावरा दोंनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम शावरा के स्थान पर शावरचन्द मीणा किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर सरपंच

ग्राम पंचायत सुवेरी पं.स. खेरवाड़ा, जि. उदयपुर

हस्ताक्षर

वार्डपंच

बयान

में श्री प्रकाश पिता कालुरा जाति मीणा उम्र 45 निवासी सुवेरी प्रार्थी का सह खातेदार/ग्राम निवासी हुं। एवं प्रार्थी श्री शावरचन्द मीणा को भली भाति जानता हुं। इनका वास्तविक सही नाम श्री .... है, जो कि राजस्व रिकार्ड में शावरा हो गया है। प्रार्थी का नाम खाते मे दर्ज करते समय गाँव मे मुहबोला नाम शावरा होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी श्री शावरचन्द और श्री शावरा दोंनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम शावरा के स्थान पर शावरचन्द मीणा किया जाना सही है।

प्रकाश

हस्ताक्षर गवाह

बयान

में श्री राकेश पिता हनु जाति मीणा उम्र 38 निवासी सुवेरी प्रार्थी का सह खातेदार/ग्राम निवासी हुं। एवं प्रार्थी श्री शावरचन्द मीणा को भली भाति जानता हुं। इनका वास्तविक सही नाम श्री शावरचन्द मीणा है, जो कि राजस्व रिकार्ड में शावरा हो गया है। प्रार्थी का नाम खाते मे दर्ज करते समय गाँव मे मुहबोला नाम शावरा होने से उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी श्री शावरचन्द मीणा और श्री शावरा दोंनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में नाम शावरा के स्थान पर शावरचन्द मीणा किया जाना सही है।

राकेश

हस्ताक्षर गवाह

प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2

रिपोर्ट पटवारी ...सुवेरी... तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य सही है। ग्राम की खाता संख्या 188 में प्रार्थी का नाम ...थावरा... दर्ज है, जबकि प्रार्थी के नाम सरकारी दस्तावेजो मे सही नाम ...थावरचन्द मीणा... दर्ज है। खाते मे दर्ज नाम प्रार्थी के नाम का विकृत रूप/अपभ्रंष है। अतः ग्राम ...सुवेरी... की खाता संख्या 188 मे दर्ज नाम ...थावरा... के स्थान पर सही इन्द्राज ...थावरचन्द मीणा... दर्ज किया जाना उचित है।

भू अभिलेख निरीक्षक जवास   पटवारी

कार्यालय तहसीलदार खेरवाड़ा जिला उदयपुर

भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपार्ट अनुसार ग्राम ...सुवेरी... की जमाबन्दी की खाता संख्या 188 मे दर्ज नाम ...थावरा पुत्र तेजा... के स्थान पर सही नाम ...थावरचन्द मीणा पुत्र तेजा मीणा... दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जिला उदयपुर

क्रमांक :

दिनांक : 21/12/2021

::आदेश::

प्रार्थी के प्रार्थना एवं तहसीलदार खेरवाड़ा की रिपोर्ट एवं सलंग्न दस्तावेजो के आधार पर राजस्थान भू अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत ग्राम ...सुवेरी... की जमाबन्दी की खाता संख्या 188 मे दर्ज नाम/इन्द्राज ...थावरा पुत्र तेजा... के स्थान पर सही नाम/इन्द्राज ...थावरचन्द मीणा पुत्र तेजा मीणा... दर्ज करने की स्वीकृती प्रदान की जाती है। तहसीलदार खेरवाड़ा आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी खेरवाड़ा जि. उदयपुर

उपखण्ड अधिकारी